सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

(44)

दिनांक– 19/09/017

विषय– गोपालगंज जिलान्तर्गत भागीपट्टी–समौर पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.00615 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग – भवदीय कार्यालय पत्रांक FC-499 दिनांक 29.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/25319/2017/1268, दिनांक 01.06.2017 द्वारा कुल 17 शर्त्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ–

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं करूगा।

2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.00615 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रू० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रू० 3,850/– **बिहार राज्य के लिये निर्धारित CAMPA A/c No. 15062199253192017890, कॉरपोरेशन बैंक Bangalore में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 15.09.2017 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBIN517258056297 है (छायाप्रति संलग्न)।**

3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन पर उसका भुगतान करेंगे।

4. हरितावरण को बनाये रखने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1610, दिनांक 11.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर मेरे द्वारा कुल राशि रू० 4,11,082/– **बिहार राज्य के लिये निर्धारित CAMPA A/c No. 15062199253192017890, कॉरपोरेशन बैंक Bangalore में फंड ट्रांस्फर कर दिनांक 15.09.2017 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBIN517258056297 है (छायाप्रति संलग्न)।**

5. मेरे द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर कॉरपोरेशन बैंक, Bangalore के खाता में दिनांक 15.09.2017 को जमा करा दी गयी है।

6. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण–पत्र की मूल प्रति नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया दिया गया है।

7. Compensatory levies demand को Ministry के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है।

8. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

9. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

10. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(a) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(b) इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

(C) मेरे द्वारा रिटेल आउटलेट पम्प के भीतर 1.0 से 1.5 मी0 वृक्षरोपण किया जायेगा।

(43)

(d) क्षतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त अन्य खाली जगहों पर मेरे द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।

11. मेरे द्वारा रिटेल आउटलेट के निर्माण के समय वन अच्छादित भू खण्ड के समीप से मिट्टी नहीं काटी जायेगी और न ही कोई वस्तु का संग्रहण करूगा।

12. मेरे द्वारा नियोजित मजदूर/कर्मचारी निर्माण के समय किसी तरह का वन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आस–पास Flora or Fauna उपलब्ध नहीं है।

13. प्रस्तावित भू: खण्ड/ वन भूमि के प्रयोग में परिवर्तन, बिना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के नहीं करूगा।

14. मैं अपयोजित वन भूमि का किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करूगा।

15. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

16. इन शर्त्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

17. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रावधान के संबंध में जारी दिशा–निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन करूगा।

अतः अनुरोध है कि विषयगत परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन,
परमात्मा कुमार सिंह
(परमात्मा कुमार सिंह)
पिता– श्री रामदेव सिंह,
ग्राम– महन्थवा, पोस्ट– छितौना,
थाना– कट्या, जिला– गोपालगंज,
पिन कोड– 841 425